

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

भारतीय खाद्य निगम एवं अन्य

बनाम

केवला देवी एवं अन्य

2014 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 8223

में

2018 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1452

21 अप्रैल 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री अशुतोष कुमार और माननीय न्यायमूर्ति श्री हरीष कुमार)

विचार के लिए मुद्दा

- क्या सेवा निवृत्ति के पश्चात कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर उसकी समस्त सेवानिवृत्ति लाभ एवं उपदान की जब्ती कानून संगत थी, जब कोई प्रत्यक्ष वित्तीय हानि का निर्धारण नहीं किया गया।
- क्या अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा खाद्य निगम (स्टाफ) विनियम, 1971 की विनियम 60(क)(3) एवं उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 4(6) के अधीन उचित प्रक्रिया अपनाई गई।

हेडनोट्स

किसी कर्मचारी पर निगम को किसी कदाचार या लापरवाही से नुकसान पहुँचाने का आरोप लगाने हेतु एक अलग आरोप-पत्र तैयार किया जाना आवश्यक है। कुल हानि का परिमाण भी निर्धारित किया जाना चाहिए, न केवल इसलिए कि कर्मचारी को टर्मिनल लाभों से कटौती से पूर्व अवगत कराया जा सके, बल्कि इसलिए भी कि जिम्मेदार कर्मचारियों के बीच उनकी जिम्मेदारी और दायित्वों के अनुसार हानि का विभाजन किया जा सके। ऐसा कोई आरोप-पत्र तैयार नहीं किया गया और न ही निगम ने उत्तरदाता के जानबूझकर किए गए कदाचार से उत्पन्न क्षति का आकलन करने का कोई प्रयास किया, जिससे निगम को कर्मचारी/उत्तरदाता से यह हानि वसूलने का अधिकार मिल सके। (पृष्ठ 9,10); इसमें कोई विवाद नहीं है कि निगम को यह शक्ति है कि वह कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद भी बर्खास्तगी जैसी प्रमुख सज़ा दे सकता है और हुई हानि की वसूली कर सकता है, बशर्ते कि आरोप यह हो कि कदाचार से हानि हुई और उस हानि का परिमाण निर्धारित किया गया हो। परंतु पूर्ण उपदान जब्ती का आदेश अत्यंत अनुचित, अप्रासंगिक और पूर्णतः अविवेकपूर्ण है। (पृष्ठ 12); अपील

खारिज की जाती है। (पृष्ठ 12)

न्याय दृष्टान्त

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम रामलाल भास्कर, (2011) 10 एस.सी.सी. 249; यूको बैंक बनाम राजेन्द्र लाल कपूर, (2007) 6 एस.सी.सी. 694; महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम रवींद्रनाथ चौबे, (2020) 18 एस.सी.सी. 71; जसवंत सिंह गिल बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, (2007) 1 एस.सी.सी. 663; डी.बी.कपूर बनाम भारत सरकार, (1990) 4 एस.सी.सी. 314; स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बनाम राम निवास बंसल, (2014) 12 एस.सी.सी. 106

अधिनियमों की सूची

भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) विनियम, 1971; उपदान भुगतान अधिनियम, 1972

मुख्य शब्दों की सूची

उपदान की जब्ती; सेवा निवृत्ति; अनुशासनात्मक कार्यवाही; वित्तीय हानि; सेवानिवृत्ति लाभ; कदाचार; नैतिक पतन; विभागीय जांच; विनियम 60(क)(3); धारा 4(6) उपदान अधिनियम

प्रकरण से उत्पन्न

2014 की दीवानी रिट मामला सं. 8223

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता की ओर से: श्री प्रभाकर टेकरीवाल, अधिवक्ता

उत्तरदातओं की ओर से: सुश्री मीनू कुमारी, अधिवक्ता; श्री आलोक कुमार, अधिवक्ता

रिपोर्टर जिनके द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2014 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 8223
में

2018 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1452

- =====
1. अध्यक्ष, भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से
 2. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम
 3. प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम
 4. कार्यपालक निदेशक, पूर्वी अंचल, भारतीय खाद्य निगम, कोलकाता
 5. मुख्य महाप्रबंधक, वित्त एवं लेखा/कार्मिक, भारतीय खाद्य निगम, आंचलिक कार्यालय ई, कोलकाता - 71
 6. महाप्रबंधक, बिहार, भारतीय खाद्य निगम, अरुणाचल भवन, एग्जीबिशन रोड, पटना

... ..अपीलकर्ता/ओं

बनाम

- 1.1. केवला देवी, पति- स्वर्गीय देवेंद्र प्रसाद सिंह, निवासी, मोहल्ला- पुराना बहादुरदुपुर, बाजार समिति के पास, डाकघर-राजेंद्र नगर, पटना-16, थाना- बहादुरदुपुर, जिला-पटना
- 1.2. दीपक सिंह, पिता- स्वर्गीय देवेंद्र प्रसाद सिंह, निवासी, मोहल्ला- पुराना बहादुरदुपुर, बाजार समिति के पास, डाकघर-राजेंद्र नगर, पटना 16, थाना-बहादुरदुपुर, जिला-पटना
- 1.3. रेनू सिंह, पिता- स्वर्गीय देवेंद्र प्रसाद सिंह, निवासी, मोहल्ला- पुराना बहादुरदुपुर, बाजार समिति के पास, डाकघर-राजेंद्र नगर, पटना 16, थाना- बहादुरदुपुर, जिला- पटना
- 1.4. रूबी सिंह, पिता- स्वर्गीय देवेंद्र प्रसाद सिंह, निवासी, मोहल्ला- पुराना बहादुरदुपुर, बाजार समिति के पास, डाकघर-राजेंद्र नगर, पटना 16, थाना- बहादुरदुपुर, जिला- पटना
- 1.5. रीना सिंह, पिता- स्वर्गीय देवेंद्र प्रसाद सिंह, निवासी, मोहल्ला- पुराना बहादुरदुपुर,

बाजार समिति के पास, डाकघर-राजेंद्र नगर, पटना 16, थाना- बहादुरदुपुर, जिला- पटना

1.6. धीरज सिंह, पिता-स्वर्गीय देवेंद्र प्रसाद सिंह, निवासी, मोहल्ला- पुराना बहादुरदुपुर, बाजार समिति के पास, डाकघर-राजेंद्र नगर, पटना 16, थाना- बहादुरदुपुर, जिला- पटना

.....उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति :

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री प्रभाकर टेकरीवाल, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : सुश्री मीनू कुमारी, अधिवक्ता

श्री आलोक कुमार, अधिवक्ता

=====

गणपूर्ति : माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री हरीष कुमार

मौखिक निर्णय

(प्रति: माननीय श्री न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार)

दिनांक: 21-04-2023

हमने अपीलकर्ता/भारतीय खाद्य निगम के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभाकर टेकरीवाल और उत्तरदाताओं की ओर से सुश्री मीनू कुमारी का पक्ष सुना है।

उत्तरदाता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और उपदान सहित सभी अंतिम लाभों को जब्त करने का आदेश पारित किया गया ।

बर्खास्तगी के पूर्व उल्लिखित आदेश की अपील में पुष्टि की गई थी और इसे समीक्षा प्राधिकरण के समक्ष भी कायम रखा गया था ।

पटना के बहादुरपुर स्थित भारतीय खाद्य निगम में प्रबंधक (भंडारण) के पद पर तैनात रहने के दौरान उनके खिलाफ तीन आरोप लगाए गए थे: (i) समिति के सदस्य के रूप में उन्होंने दो महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई प्रगति/अंतरिम/अंतिम

प्रतिवेदन या तथ्यात्मक स्थिति प्रस्तुत नहीं की, जिसके कारण भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को एक और आदेश जारी करना पड़ा, जिसमें समिति के सदस्यों को वही कार्य करने का निर्देश दिया गया जो उन्हें पहले सौंपा गया था, जो कि अवज्ञा का कार्य था; (ii) उत्तरदाता जिस समिति का हिस्सा था, उसके द्वारा दो प्रतिवेदन प्रस्तुत की गईं, जो धान की डिलीवरी और उसके परिवहन की निगरानी किए बिना अत्यंत लापरवाही और लापरवाही से जारी की गईं, जिससे यह आरोप लगाया गया कि समिति धान अधिप्राप्ति केंद्र, डुमरांव के प्रभारी के साथ मिलीभगत कर रही थी और इसलिए तथ्यात्मक स्थिति को दबा दिया गया और अंत में यह भी कहा गया कि (iii) बिना किसी औचित्य के, समिति द्वारा धान की डिलीवरी और उसके स्थानांतरण की निगरानी में अत्यधिक देरी की गई।

जाँच अधिकारी ने जाँच के बाद अपनी प्रतिवेदन प्रस्तुत की जिसमें पाया गया कि उत्तरदाता के विरुद्ध सभी आरोप सिद्ध हो गए हैं। ऐसी जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने उत्तरदाता को दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी किया, साथ ही उस जाँच प्रतिवेदन की एक प्रति भी दी जिसका उसने उत्तर दिया था।

जाँच प्रतिवेदन और उत्तरदाता के उत्तर पर विचार करने के बाद, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उत्तरदाता पर जुर्माना लगाया गया।

उत्तरदाता ने रिट न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया कि जाँच अधिकारी के निष्कर्ष पूरी तरह से अभिलेखों से परे थे। वास्तव में, जाँच अधिकारी द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था, उनसे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उत्तरदाता के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए। उत्तरदाता द्वारा मांगे गए कुछ दस्तावेज भी उसे उपलब्ध नहीं कराए गए। यह भी तर्क दिया गया कि किसी कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति के बाद बर्खास्तगी की सजा नहीं दी जानी चाहिए; उत्तरदाता को पूर्वोक्त दंड देना पूरी तरह से विवेक की कमी दर्शाता है।

इन आधारों पर यह आग्रह किया गया कि उत्तरदाता पर लगाया गया जुर्माना कानून और तथ्यों के अनुरूप नहीं था।

रिट न्यायालय ने पाया कि निगम को किसी प्रकार की आर्थिक हानि पहुंचाने का कोई विशेष आरोप नहीं था तथा केवल अनुमान के आधार पर ऐसा जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए था, विशेष रूप से उपदान और सभी टर्मिनल लाभों को जब्त करना तथा वह भी उत्तरदाता की चूक या लापरवाही के कारण निगम को हुई हानि की मात्रा का आकलन किए बिना।

अपीलकर्ता/निगम के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह मानकर कानूनी तौर पर गलती की है कि उपदान रोकी नहीं जा सकती थी और उत्तरदाता को उसकी सेवानिवृत्ति के बाद बर्खास्तगी की सजा दिए जाने की स्थिति में विवेक का प्रयोग न करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

यद्यपि निगम को नुकसान पहुंचाने के संबंध में कोई विशेष आरोप नहीं था, लेकिन यह स्पष्ट अनुमान और कटौती थी कि जिस समिति का उत्तरदाता सदस्य था, उसकी ओर से ऐसी चूक के कारण धान की खरीद/स्थानांतरण/वितरण में देरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप निश्चित रूप से निगम को नुकसान हो सकता था।

श्री टेकरीवाल ने आगे कहा कि यदि कोई कर्मचारी विभागीय कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान सेवानिवृत्त हो जाता है, लेकिन प्राधिकारी उसे दोषी पाता है, तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी उपदान का भुगतान रोक सकता है और निगम को हुई किसी भी आर्थिक हानि की पूरी या आंशिक वसूली उपदान से करने का आदेश दे सकता है।

भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी) विनियम, 1971 के विनियम 60(क)(3) में प्रावधान है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, यदि संबंधित कर्मचारी कदाचार के अपराध का दोषी पाया जाता है, तो निगम को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए उपदान रोकी जा सकती है। उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार भी, उपदान की जब्ती हो सकती है, लेकिन केवल उस नुकसान की सीमा तक जो निगम को दोषी कर्मचारी के आचरण के कारण हुआ है।

उपर्युक्त विनियमन के नियम 60(ए) पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **भारतीय स्टेट बैंक बनाम राम लाल भास्कर एवं अन्य, 2011 (10) एससीसी 249 और यूको बैंक एवं अन्य बनाम राजिंदर लाल कपूर, 2007 (6) एससीसी 694** में यह माना है कि यदि विनियमन सेवानिवृत्ति के बाद भी विभागीय कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देता है तो नियोक्ता को बर्खास्तगी/निष्कासन का आदेश पारित करने का अधिकार है।

उत्तरदाता के मामले में, बर्खास्तगी का आदेश किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के साथ उसके पास नहीं आया होगा, सिवाय इसके कि जब वह हटाने या बर्खास्तगी के आदेश के साथ उपदान और अन्य अंतिम लाभों को जब्त कर रहा हो। भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत का भुगतान किया जाता है। उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 4(6)(क) में प्रावधान है कि एक कर्मचारी की उपदान, जिसकी सेवाओं को किसी भी कार्य के लिए समाप्त कर दिया जाता है, जानबूझकर चूक या लापरवाही के कारण नियोक्ता की संपत्ति को कोई नुकसान या नुकसान या विनाश होता है, इस तरह से हुई क्षति या नुकसान की सीमा तक जब्त कर लिया जाएगा; उप-खंड(ख) इसके अलावा यह प्रावधान है कि किसी कर्मचारी को देय उपदान पूरी तरह से या आंशिक रूप से जब्त किया जा सकता है, यदि ऐसे कर्मचारी की सेवाओं को उसके दंगापूर्ण या अव्यवस्थित आचरण या उसकी ओर से हिंसा के किसी अन्य कार्य के लिए समाप्त कर दिया गया है, या यदि ऐसे कर्मचारी की सेवाओं को किसी ऐसे कार्य के लिए समाप्त कर दिया गया है जो नैतिअधमता से जुड़े अपराध का गठन करता है, बशर्ते कि ऐसा अपराध उसके द्वारा अपने रोजगार के दौरान किया गया हो ।

हम उत्तरदाता के मामले के तथ्यों से पाते हैं कि उसके खिलाफ साबित हुए तीन आरोप केवल मुख्यालय को देरी से और वह भी निगम द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अनुस्मारक भेजने के बाद, लापरवाही से प्रतिवेदन भेजने से संबंधित हैं। इससे निगम को नुकसान हो सकता है, लेकिन विभागीय कार्यवाही के दौरान, नुकसान की मात्रा का आकलन

करने का कोई प्रयास नहीं किया गया और न ही उत्तरदाता को कभी इस मुद्दे पर सामना कराया गया कि नियोक्ता/निगम द्वारा उस पर लगाए गए दायित्व को पूरा करने में उसके कदाचार या चूक के कारण उसे कितना नुकसान हुआ।

यहाँ तक कि ऊपर उल्लिखित नियम 60(क) भी निगम द्वारा किसी भी आरोपित कर्मचारी से हुई आर्थिक हानि की वसूली के मामलों में अनुशासनात्मक प्राधिकारी की शक्तियों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है। किसी भी कदाचार या लापरवाही से निगम को हानि पहुँचाने के लिए कर्मचारी के विरुद्ध एक अलग आरोप तय किया जाना आवश्यक है। हानि की कुल मात्रा का आकलन न केवल कर्मचारी से उसके सेवांत लाभों के लिए वसूली करने से पहले उसका सामना करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए, बल्कि उन कर्मचारियों के बीच इसे विभाजित करने के उद्देश्य से भी किया जाना चाहिए जो उक्त हानि के लिए अपनी जिम्मेदारियों और दायित्वों के अनुसार उत्तरदायी होंगे। आर्थिक हानि पहुँचाने का आरोप सिद्ध होने के बाद ही निगम द्वारा अपने अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों/उपदान के माध्यम से ऐसी हानि की वसूली करने का आदेश पारित किया जा सकता है।

इस मामले के अभिलेखों से, हम पाते हैं कि न तो ऐसा कोई आरोप लगाया गया और न ही निगम द्वारा उत्तरदाता के जानबूझकर किए गए कदाचार से होने वाले नुकसान का आकलन करने का कोई प्रयास किया गया, जिससे निगम को कर्मचारी/उत्तरदाता से ऐसे नुकसान की वसूली करने का अधिकार प्राप्त हो।

श्री टेकरीवाल द्वारा *महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक बनाम श्री रवींद्रनाथ चौबे, 2020 (18) एससीसी 71* में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ निगम के लिए कोई लाभ नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय में, उठाया गया मुद्दा यह था कि क्या किसी नियोक्ता के लिए कानूनन यह अनुमेय है कि वह कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद भी उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित होने के कारण उसकी

उपदान का भुगतान रोके रखे और जहाँ किसी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जाँच उसके सेवाकाल के दौरान शुरू की गई हो और सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद भी जारी रहे, क्या 1978 के सीडीए नियमों के प्रावधानों के अनुसार कदाचार का दोषी पाए जाने पर बर्खास्तगी की सजा दी जा सकती है।

1978 के सीडीए नियमों की जाँच करने और विभिन्न मामलों जैसे *जसवंत सिंह गिल बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, (2007) 1 एससीसी 663, भारतीय स्टेट बैंक बनाम राम लाल भास्कर एवं अन्य, (2011) 10 एससीसी 249, डी.बी. कपूर बनाम भारत संघ, (1990) 4 एससीसी 314 और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बनाम राम निवास बंसल, (2014) 12 एससीसी 106* का हवाला देते हुए, यह माना गया कि कर्मचारी को बर्खास्तगी जैसी बड़ी सजा दी जा सकती है और संगठन को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए, उपदान को भी पूरी तरह या आंशिक रूप से जब्त किया जा सकता है।

उपर्युक्त निर्णय में, नियोक्ता को अनुशासनात्मक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान उपदान रोकने का अधिकार और सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद भी कर्मचारी पर बर्खास्तगी का दंड लगाने की शक्ति की पुष्टि की गई।

निगम के पास किसी कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति के बाद भी बर्खास्तगी की कड़ी सजा देने और हुए नुकसान की वसूली करने का अधिकार है, बशर्ते आरोप ऐसा हो, यानी कदाचार के कारण नुकसान हुआ हो और उस नुकसान की मात्रा का आकलन हो चुका हो। उपदान को पूरी तरह से जब्त करने का एकमुश्त आदेश बेहद अनुचित और अनावश्यक है क्योंकि यह पूरी तरह से विवेकहीनता को दर्शाता है।

उपर्युक्त कारणों से, हमें अपीलकर्ता/निगम द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए राजी नहीं किया गया है।

याचिका खारिज की जाती है।

पक्षकारों को अपना खर्च स्वयं वहन करना होगा ।

(आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति)

(हरीष कुमार, न्यायमूर्ति)

ऋषि/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।